

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

जितेन्द्र प्रताप सिंह — अनाम — सरका
धारा-143 ज० वि० अधिनियम
ग्राम-अकमा परगना-खण्डासा
तहसील-मिल्कीपुर, पैजाबाद ।
बाद संख्या-24

आदेश

ग्रामगत बाद जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्रीराम कैलाश सिंह प्रस्ताव
कमल कैलाश टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा खण्डासा नारा प्रस्ताव किया ग
जिसमें कहा गया है, कि ग्राम-अकमा की गाटा संख्या-728/0.080 हे. में से
रकबा 0.080 हे. गाटा संख्या-729/1.274 में से 0.273 हे. गाटा संख्या-7
रकबा 0.054 हे. का करिये बैनामा संक्रमणीय भूमिधर है । वर्तमान भूमिधरों में
प्रतिष्ठान संस्थान का भवन निर्माणाधीन है । कृषि कार्य नहीं हो रहा है ।
में अकृषि भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है । तदनुसार के अनु
धारा 143 के अन्तर्गत नया दाखिल की गयी है । जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार
मिल्कीपुर से आवृत्त करायी गयी । तदनुसार मिल्कीपुर की अकमा गाटा संख्या
दिनांक 7-6-12 के अनुसार ग्राम अकमा की गाटा संख्या-728/0.054 हे. गा
संख्या-729/1.274 हे. व गाटा संख्या-728/0.080 हे. कुल तीन दि
रकबा 0.367 हे. जो कमल कैलाश ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा प्रस्तावक जितेन्द्रप
सिंह पुत्र राम कैलाश सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । वर्तमान सभ
में अकृषि भूमि निर्माणाधीन है, जो अकृषि भूमि घोषित किये जाने योग्य
है । कृषि भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

अतः तहसीलदार मिल्कीपुर की अकमा गाटा संख्या-728/0.080 हे. व 729/1.274 हे. व 730/0.080 हे. कुल तीन
दिना संख्या-728/0.080 हे. व 729/1.274 हे. व 730/0.080 हे. कुल तीन दि
दिना संख्या-728/0.080 हे. जो कमल कैलाश ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अकमा प्रस्तावक
जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम कैलाश सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है ।
जो अकृषि भूमि घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना प्रस्तावक को
हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पर्यावर्तन पराजिल करार हो

दिनांक: 15.06.2012

उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर, पैजाबाद ।

4000
Principal
Kalesh College of Pharmacy
Pharmaceutical Sciences Annex
Karnal-20112

27-7-14

Manag
Ram Kalash Sahan Ex
1147 Karnal
Near J.S. Maada
Aparita